समीक्षा करने के लिए मुख्य रूप से संबंधित है । संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण भारतीय सांख्यिकीय सेवा की पुनः संरचना की आवश्यकता के प्रति सचेत रहा है । फिर भी यह पाया गया था कि समूह "क" की अन्य केन्द्रीय सेवाओं पर यथा लागू संवर्ग समीक्षा की संकल्पना जो केवल एक विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करती है, इन सेवाओं (भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा) पर लागू नहीं हो सकती । तदनुसार इन वर्षों के दौरान कार्यवाही संकेन्द्रित रही जिसके मुख्य पहलू इस प्रकार थे—संवर्ग में और पदों को शामिल करके स्थिति सुधारना, उच्च स्तरों (कनिष्ठ, प्रशासनिक श्रेणी से ऊपर) पर संवर्ग पद सृजन करना तथा एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदों का दर्जा बढ़ाना । ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप संवर्ग में वरिष्ठ समय वेतनमान से ऊपर के पद इस समय 28 प्रतिशत हैं जो सेवा को गठित करने के समय 12 प्रतिशत थे ।

(ग) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित स्थगनादेश केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य न्यायपीठ, डीए 698/86 और डीए 1156/86—कपिल के मामले में, निर्णय में सिविल अवमानना याचिका के संबंध में जारी किया गया था उच्चतम न्यायालय इस मामले में दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रहा है केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य न्यायपीठ ने 5-4-88 को आदेश दिया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा में सिविल अवमानना याचिका तथा मामले को उपयुक्त आदेशों के लिए इसके बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए । चूंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक विशेष अनुमति याचिका पर निर्णय नहीं दिया है इसलिए न्यायाधिकरण ने मामले में अभी आगे कोई सुनवाई नहीं की है ।

Defence of pollution control measures by industries as offence

3168. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
KUMARI SAYEEDA KHATUN:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare defiance of pollution control measures by industries, willful or otherwise, as an offence with criminal liability, with the onus on the industrial unit to prove its innocence; and

(b) if so, the details of the measures and the reasons behind it.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NILAMANI ROUTRAY): (a) There is no such proposal under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

कानपुर में चकेरी हवाई अड्डे पर मिग-21 का कबाड़ के व्यापारियों को बेचा जाना

3169. **श्री कपिल वर्मा :**
कुमारी आलिया :
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1990 के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर की ओर दिलाया गया है कि कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा भारी सुरक्षा प्रबंध के बावजूद रूसी मिग-21 लड़ाकू विमान को कबाड़ के व्यापारियों को बेचा गया था ; यदि हां, तो विमान के मूल्य सहित उसका ब्यौरा क्या है ;